बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
संकल्प

विषय : ''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' की मार्ग-दर्शिका।

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा एक बहुआयामी विकास योजना को वर्ष 2011-12 से लागू की गयी है। यह योजना ''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' के नाम से जानी जायेगी।

उद्देश्य

2. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा।

योजना का प्रसार

3. यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी।

योजना का कार्य क्षेत्र

4. राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र

जिला चयन समिति

5. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लिए परियोजनाओं का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।

(क) इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(i) जिला के प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष

(ii) जिला के सभी विधान सभा सदस्य - सदस्य

(iii) विधान परिषद् के वैसे सदस्य, जिनका निश्चित निर्वाचन क्षेत्र हो, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी जिलों के चयन समिति के सदस्य होंगे।

(iv) विधान परिषद् के मनोनीत सदस्य (विधान सभा कोटे से निर्वाचित सदस्य को लगाकर) उस जिले के चयन समिति के सदस्य होंगे जिस जिला के मतदाता सूची में उनका नाम हो अथवा राज्य के किसी एक जिला का चयन करेंगे जिसके चयन समिति के वे सदस्य होंगे। - सदस्य

(v) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम तीन गैर सरकारी सदस्य - सदस्य

(नोटः 1. जिले का चयन पूरे कार्यकाल में एकबार बदला जा सकेगा।
2. संबंधित सदस्य जिले के चयन की सूचना योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि तक विभाग को उपलब्ध करा देंगे।)

(vi) जिला पदाधिकारी - सदस्य सचिव

(vii) जिला योजना पदाधिकारी - संयोजक

(ख) इस समिति के निम्नांकित आमंत्रित सदस्य होंगे :-

(i) उप विकास आयुक्त

(ii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

(iii) संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी
(iv) संबंधित जिला के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संभाग के सभी कार्यपालक अभियंता
(v) जिला पंचायती राज पदाधिकारी

(ग) जिला पदाधिकारी किसी अन्य पदाधिकारी को भी किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकता पड़ने पर भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।

(घ) जिला चयन समिति में सदस्य के रुप में माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/विधान परिषद् के सभापति/ विधान सभा के अध्यक्ष/ मंत्रीगण/ विधान परिषद् के उप सभापति/ विधान सभा के उपाध्यक्ष समिति की बैठक में स्वयं के भाग नहीं लेने की स्थिति में बैठक में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नामित कर सकेंगे।

(च) समिति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति/रिक्ति के कारण बैठक की कार्यवाही बाधित नहीं होगी।

योजनाओं का चयन

6. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा :-
   1. भवनहीन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण
   2. भवनहीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण
   3. गोदाम का निर्माण
   4. गली एवं नाली का निर्माण
   5. सामुदायिक भवन, सार्वजनिक बस पड़ाव, यात्री शेड, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि का निर्माण
   6. नदी एवं सार्वजनिक तालाबों में घाट का निर्माण
   7. हाट एवं मेला स्थलों का विकास
   8. कला मंच/खेल के मैदान का निर्माण
   9. सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण
   10. अन्य योजनाएँ, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निदेशित हों

चयन के सिद्धान्त

7. जिला स्तर पर योजनाओं के चयन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे:

1. परियोजनाओं के चयन हेतु विधानसभा क्षेत्र/विधान परिषद क्षेत्र/प्रखण्ड या अन्य किसी भौगोलिक इकाई की सीमा नहीं रहेगी। योजनाओं का चयन उनकी महत्ता, आवश्यकता, उपयोगिता और तकनीकी संभावना (Feasibility) के आधार पर जिला को इकाई मान कर किया जायेगा ।

2. योजनाओं के चयन करते वक्त इस बात को मुख्यतः ध्यान में रखा जायेगा कि जिला के अंदर प्रखण्डों/नगर निकायों के बीच विकास की असमानता (Disparity among the Blocks/ Municipal areas on various developmental parameters) को दूर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

निधि का आवंटन

8. जिला को निम्न सिद्धान्त के आधार पर निधि का आवंटन किया जायेगा।

1. राज्य स्तर पर उपलब्ध कुल राशि का 85% भाग ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के लिए एवं 15% भाग शहरी क्षेत्र की योजनाओं के लिए कर्णांकित की जायेगी।

2. ग्रामीण क्षेत्र (85%) की योजनाओं के लिए जिला को निम्न सिद्धान्त के आधार पर राशि आवंटित की जायेगी।

क. 40% राशि जिले के ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या के आधार पर।

ख. 40% राशि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर।

ग. 20% राशि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर।

3. इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र (15%) की योजनाओं के लिए जिला को निम्न सिद्धान्त के आधार पर राशि आवंटित की जायेगी।

क. 40% राशि जिले के शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के आधार पर।

ख. 40% राशि जिले के शहरी क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर।

ग. 20% राशि जिले के शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर।

4. जिला स्तर पर प्रखण्ड/नगर निकाय क्षेत्र के लिए भी उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर कंडिका 2 एवं 3 के अनुसार राशि का कर्णांकन किया जायेगा।

योजनाओं का कार्यान्वयन

9. इस योजना का कार्यान्वयन निम्न प्रकार किया जायेगा :

9.1 इस योजना के अंतर्गत विभाग को प्राप्त बजटीय उपबंध के आलोक में जिलों को वार्षिक निधि उपलब्धता की सूचना दे दी जायेगी। जिला की चयन समिति जिला/प्रखण्ड/नगर निकाय के लिए कर्णांकित राशि की दोगुनी राशि (गत वर्ष की परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को जोड़कर) की परियोजना का चयन करेगी।

9.2 इस योजना का नोडल विभाग योजना एवं विकास विभाग होगा।

9.3 इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अभियंत्रण संभाग होगा जो योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहेगा । इस संभाग के स्वरूप एवं संरचना के बारे में अलग से विस्तृत आदेश जारी किया जायेगा।

9.4 इस योजना के अन्तर्गत राशि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को आवंटित की जायेगी। शीर्ष, उप शीर्ष के अन्तर्गत संगठन के कार्यपालक अभियंता को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी घोषित किया जायेगा।

9.5 जिला चयन समिति अगले वित्तीय वर्ष से प्रतिवर्ष जनवरी माह के प्रथम पक्ष में अपनी बैठक कर संसूचित राशि के अनुसार अगले वर्षों के लिए योजनाओं का चयन कर लेगी । योजनाओं के चयन के बाद उनकी सूची जिला स्तरीय अभियंत्रण संभाग के प्रभारी को सौंप देगी जो उनका प्राक्कलन दो माह के अन्दर अर्थात् माह मार्च तक तैयार करेगी।

9.6 जिला चयन समिति की दूसरी बैठक अप्रैल माह के प्रथम पक्ष में आयोजित की जायेगी। जिलों के लिए वार्षिक निधि की उपलब्धता एवं योजनाओं के प्राक्कलन के आधार पर इस बैठक में चयनित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी एवं इसके आधार पर योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ये प्रक्रियाएँ अगस्त' 2011 तक पूरी कर ली जायेगी।

योजना की कार्यान्वयन अवधि

10. इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य से संबंधित ली जानेवाली योजनाओं को सामान्यतया एक से दो वर्ष में पूरा किया जायगा।

परियोजनाओं की स्वीकृति

11. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

(क) प्रशासनिक स्वीकृतिः

सक्षम पदाधिकारी	प्रशासनिक	स्वीकृति हेतु अधिसीमा
प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	प्रशासनिक	दो करोड़ से उपर
क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक
जिला योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख से उपर पचास लाख तक
सहायक योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख तक

(ख) तकनीकी स्वीकृतिः

सक्षम पदाधिकारी	तकनीकी	स्वीकृति हेतु अधिसीमा
मुख्य अभियंता	तकनीकी	दो करोड़ से उपर
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	दस लाख से उपर पचास लाख तक
सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख तक

योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा

12. जिला चयन समिति की दूसरी बैठक से चयनित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त योजना पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव की प्राप्ति से निम्न निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रदान की जाएगीः-

प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी	प्रशासनिक/ तकनीकी	प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने हेतु निर्धारित समय सीमा
प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग विभाग	प्रशासनिक	पन्द्रह कार्यकारी दिवस
क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस कार्यकारी दिवस
जिला योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	सात कार्यकारी दिवस
सहायक योजना पदाधिकारी	प्रशासनिक	पाँच कार्यकारी दिवस
मुख्य अभियंता	तकनीकी	पन्द्रह कार्यकारी दिवस
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	दस कार्यकारी दिवस
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	सात कार्यकारी दिवस
सहायक अभियंता	तकनीकी	पाँच कार्यकारी दिवस

योजनाओं का कार्यान्वयन

13. इन योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के आधार पर कराया जाएगा।

बेंचमार्क सर्वेक्षण /मॉनिटरिंग

14. किसी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त संस्थान को इस कार्य हेतु पहचान की जायेगी और कार्यक्रम की मानिटरिंग व मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क सर्वेक्षण कराया जायेगा। प्रथम चरण में वर्तमान सुविधाओं/संसाधनों का सर्वेक्षण कराया जायेगा जिससे भविष्य में किए जाने वाले मूल्यांकनों हतु बेंचमार्क उपलब्ध होगा। एक एम0आई0एस0 भी तैयार की जायेगी जिसमें प्रत्येक तिमाही में योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति इंगित की जाएगी। तिमाही के आधार पर प्रत्येक परियोजना हेतु संगत आउटपुट सूचकों का उल्लेख किया जायेगा जिससे उसके आधार पर प्रगति को मॉनिटर किया जा सके ।

वेबसाईट का निर्माण

15. प्रत्येक जिला के लिए एक बेबसाइट तैयार किया जायेगा, जिसपर जिले की पृष्ठभूमि की सूचना, जिला योजना, बेंचमार्क सर्वेक्षण के परिणाम और तैयार की गई एम0आई0एस0 की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। योजनाओं की प्रगति को दर्शाने के लिए बेवसाईट पाक्षिक रुप से अद्यतन किया जायेगा।

16. प्रत्येक जिला को परियोजना शुरू करने के पहले तथा परियोजना के पूरा होने के पश्चात स्थिति को दर्शाने तथा संबंधित जिला के अर्थ व्यवस्था में सुधार लाने में इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए संगत दृश्य रिकार्डिग (फोटो/विडियोग्राफी) कराया जायेगा जो योजना अभिलेखों के साथ संधारित होगी। इसे एम0एम0एस0 के माध्यम से योजना एवं विकास विभाग को प्राप्त कराया जायेगा।

17. योजना के कार्यान्वयन में अभियंताओं के साथ-साथ संवेदकों को भी प्रबंधन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का प्रावधान किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरा आदि शामिल होंगे।

18. योजनाओं में नयी तकनीक का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

19. आउटसोर्सिंग के आधार पर उच्चतर एवं विशिष्ट तकनीक एवं प्रबंधन संबंधी सेवाओं/ विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने, कन्सलटेंट की सेवा प्राप्त करने एवं लेखा संधारण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट/अंकेक्षकों की सेवा प्राप्त करने का प्रावधान किया जायेगा।

प्रशासनिक व्यय

20. इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में आउटसोर्सिंग द्वारा कन्सलटेंट की सेवा प्राप्त करने, योजना का डिजाईन बनबाने, प्राक्कलन बनबाने, कम्प्यूटराईज्ड मॉनिटरिंग करने, प्रशिक्षण, बेवसाईट निर्माण एवं बेंचमार्क सर्वे, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन आदि पर होने वाले व्यय के लिए प्रत्येक जिला को आवंटित राशि की 3% राशि के उपयोग करने की व्यवस्था प्रावधानित की जायेगी। स्थापना व्यय का प्रावधान अलग से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु0क्षे0वि0यो0-1/2010-1458/यो0वि0, पटना, दिनांक 04 वीं मई, 2011

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु0क्षे0वि0यो0-1/2010-1458/यो0वि0, पटना, दिनांक 04 वीं मई, 2011

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में प्रकाशनार्थ सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव